# नियम व शर्ते

पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लि0, पिथौरागढ़ बैंक की 30 शाखाओं के बकाया वसूली हेतु **DEBT RECOVERY AGENT** की आवश्यकता है। बैंक के बकाया (सुरक्षित **(SECURED)** एवं असुरक्षित **(UNSECURED)**) ऋण वसूली हेतु रिकवरी फर्म/संस्था द्वारा सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं। उक्त कार्य हेतु रिकवरी फर्म/संस्था को निविदा में भाग लेने हेतु निम्न आर्हताओं का होना आवश्यक है।

1.DEBT RECOVERY AGENT के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक फर्म/संस्था द्वारा निविदा के आपूर्ति के सम्बन्ध में निविदा देने से पूर्व बैंक कार्य दिवस में बैंक के मुख्यालय पिथौरागढ़ में जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

2.स्वीकृत निविदा वाली फर्म/संस्था के साथ कार्य करने से पूर्व बैंक कार्यालय द्वारा अनुबन्ध स्थापित किया जायेगा।

3.निविदा फार्म मूल्य रू0 1000+(18% जी0एस0टी0) निर्धारित हैं।

4.निविदा प्रपत्र के साथ फर्म/संस्था द्वारा निम्न प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न की जानी अनिवार्य हैं।

i. पैन संख्या।

ii. व्यापार/वाणिज्य कर में पंजीकरण प्रमाण पत्र।

iii. अनुभव प्रमाण पत्र (न्यूनतम 3 वर्ष)। (वर्तमान में कार्यरत/राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ कार्य करने वाली संस्था को वरियता प्रदान की जायेगी)।

iv. IIBF द्वारा DEBT RECOVERY AGENT के रूप में प्रशिक्षण एवं परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र।

v. फर्म/संस्था द्वारा रिकवरी एजेंट रूप से कार्य करने वाली अपने कर्मचारियों का विवरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र।

vi. इस आशय का प्रमाण पत्र की फर्म/संस्था को किसी विभाग कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हैं।

5. निविदाऐं पंजीकृत डाक से प्रेषित की जायेगी अथवा निर्धारित तिथि तक बैंक कार्यालय में इस परियोजक हेतु बने मुख्यालय में जमा की जा सकती हैं।

6. निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. निविदा खोलते समय निविदादाता फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

8. प्राप्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार बैंक की क्रय कमेटी के पास सुरक्षित होगा।

9.डेब्ट रिकवरी एजेन्ट (DRA) फर्म से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करवाते हुए डेब्ट रिकवरी एजेन्ट (DRA) फर्म को मु0 50,000.00/रूपये की सावधि जमा सिक्योरटी के रूप में बैंक के पक्ष में बंधक रखना होगा।

10.बैंक के समस्त दस्तावेजों की गोपनीयता बनायें रखना होगा।

11.बैंक द्वारा डी0आर0ए0 की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी। वित्तीय वर्ष अन्तर्गत डी0आर0ए0 का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में उक्त एजेन्सी के साथ अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा एवं डी0आर0ए0 का कार्य द्वितीय न्यूनतम निविदा वाली एजेंसी को दे दिया जायेगा।

12.बैंक द्वारा रिकवरी में आयकर एवं अन्य कर की कटौती के उपरान्त ही फर्म/संस्था को भुगतान किया जायेगा।

13.उक्त सम्बंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं नियमावली 2004 के तहत निबन्धक सहकारी समितियॉं, उत्तराखण्ड देहरादून को संदर्भित किया जायेगा।

दिनॉंक

फर्म/संस्था के अधीकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर –
(मुहर सहित) नाम –
फर्म/संस्था के कार्यालय पता –
फोन नम्बर –